

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं०. 8बी/एच.पी.बी/09/42/2015/1256

दिनांक: 17/09/2018

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आसर्मडेल बिल्डिंग, शिमला।

विषय : Diversion of 0.967 ha (instead of 1.634 ha) of forest land in favour of M/s Shakti Hydro Electric Company Ltd., 204 Madan Lal Chowk, Asiad Village Khel Gaon, New Delhi for the construction of approach road to 3.5 MW Project Laying of Transmission Line & Drift, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश का पत्र संख्या एफ.टी. 48-1747/2008 (एफ.सी.ए.), दिनांक 03.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय नोडल अधिकारी एवम् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 27.06.2018 को हुई बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरान्त **Diversion of 0.967 ha (instead of 1.634 ha) of forest land in favour of M/s Shakti Hydro Electric Company Ltd., 204 Madan Lal Chowk, Asiad Village Khel Gaon, New Delhi for the construction of approach road to 3.5 MW Project Laying of Transmission Line & Drift, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 967 वृक्षों के वृक्षारोपण @ of 1000 trees/ha (as per guideline given by ministry's vide letter dated 08.11.2017) एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा कराई जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सभंभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
6. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 66 trees से अधिक न हो।
9. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
10. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
11. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.
12. State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulation and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
13. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoin pillars etc.
14. The User Agency and the State Govt. shall ensure compliance to provisions of all Acts, Rules Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
15. User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.
16. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(डा० योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।


(डा० योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी